न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 27 / 2019 / अपील / एलआरएक्ट / कोटा
तारीख दायराः 6.3.19
अन्तर्गत धाराः 76 एल.आर.एक्ट

उनवान

रामचन्द्र पुत्र शंकरलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा–राज0।

...अपीलांट

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री रविन्द्र खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभि0 रेस्पो0

:::निर्णय:::

दिनांक 20.8.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 9/2018 (अपील) बउनवान रामचन्द्र बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा मे पारित निर्णय दिनांक 13.11.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 एलआरएक्ट मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा इन्तकाल संख्या 354 एवं 355 दिनांक 9.10.2001 ग्राम भीमपुरा रिपोर्ट पटवारी, जांच आईएलआर एवं प्रमाणित सजरे अनुसार नामा0 स्वीकार किये जाने बावत पारित आदेश से अप्रसन्न होकर प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर कोटा के यहां अपील इस आशय की पेश की गई कि ग्राम भीमपुरा मे ख0 नं0 224 रकबा 0.81 है0, ख0 नं0 246 रकबा 1.22 है0, ख0 नं0 716 रकबा 0.33 है0 कुल किता–3 स्थित भूमि मे नाथूलाल पुत्र गज्ज्या का 1/4 हिस्सा तथा खाता सं0 126 के ख0 नं0 790 रकबा 0.90 है0, ख0 नं0 791 रकबा 0.12 है0 नाथूलाल पुत्र गज्जिया के खाते दर्ज रिकार्ड, खाता सं0 123 के ख0 नं0 250 रकबा 2.17 है0 मे 1/4 हिस्सा, खाता सं0 124 मे ख0 नं0 713/982 रकबा 0.20 है0, ख0 नं0 717 रकबा 0.24 है0, ख0 न0 718 रकबा 0.280 है0 कुल रकबा 0.72 है0 नाथू पुत्र गज्या हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड है। गज्या का पुत्र नेनगा का लडका नाथूलाल मानसिक रोग से ग्रसित था इस कारण गज्जा ने अपीलांट के नाम दिनांक 24.12.76 को अपनी सम्पूर्ण चल व अचलसंपत्ति वाके ग्राम भीमपुरा करदी जो गज्जा की प्रथम व अंतिम वसीयत है। गज्जा की मृत्यु के बाद विवादित सम्पत्ति का एक मात्र मालिक अपीलांट होने के बाद भी परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 9.10.2000 को नामान्तरकरण तस्दीक किया जो मजमे आम मे नही किया गया जो न्याय, नियम तथा तथ्यो के विपरीत है। परीक्षण न्यायालय ने नामा0 मजमे आम मे तस्दीक नही करने तथा इन्क्वायरी नही करने व साक्ष्य नही ली गई इस कारण अपीलांट अपना पक्ष नही रख सका ना ही वसीयत पेश की जा सकी। वसीयती आधार पर अपीलांट मृतक गज्जा का वसीयती पुत्र है अतः नामा0 सं0 354, 355 दिनांक 9.10.2001 निरस्त किया जावे। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने रेकार्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपील चलने योग्य नही होने से अपील अपीलांट अस्वीकार की जाने का दिनांक 13.11.2018 को निर्णय पारित किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि विवादित भूमियों का नामा0 तस्दीक करने से पूर्व कोई इन्क्वायरी नही की गई ना ही साक्ष्य ली गई तथा ना ही सूचना दी गई इस कारण अपीलांट अपना पक्ष एवं वसीयत पेश नही कर सका। अधीनस्थ न्यायालय ने इस अहम तथ्य पर गौर किये बिना जेरअपील निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है। गज्जा द्वारा छोडी गई भूमियों का उसकी मृत्यु उपरांत जायज वारिस है। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों ने गौर नही कर कानूनी त्रुटि की है। वसीयती आधार पर अपीलांट के विवादित भूमि का नामा0 तस्दीक किया जाना चाहिये। बेसपरीक्षण न्यायालय ने

नामा0 तस्दीक करने मे कानूनी प्रावधानों की अवहेलना की है, कानूनी प्रक्रिया को नही अपनाया गया गांव वाले से पूछताछ नही की गई। परीक्षण न्यायालय का आदेश स्पीकिंग आर्डर नही होने से निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर कोटा का निर्णय दिनांक 13.11.2018 व तहसीलदार लाडपुरा कोटा का निर्णय दिनांक 9.10.2001 नामा0 सं0 354, 355 निरस्त किया जाकर विवादित भूमियां अपीलांट के खाते वसीयती आधार पर दर्ज करने की आज्ञा प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम भीमपुरा मे गज्जा के खातेदारी मे 1/4 भूमियां दर्ज है। गज्जा आत्मज नेनगा का लडका नाथूलाल मानसिक रोग से ग्रसित था इस कारण गज्जा ने दिनांक 24.12.76 को अपनी सम्पूर्ण चल व अचलसंपत्ति वाके ग्राम भीमपुरा अपने भाई के पुत्र रामचन्द्र के नाम करदी। गज्जा फौत हो चुका है उसके फोत होने उपरांत विवादित आराजी का नामा0 स0 354, 355 प्रशासन गांव के संग अभियान मे दिनांक 9.10.2001 को तस्दीक किया गया जो मजमे आम मे तस्दीक नही किया गया तथा ना ही कोई इन्क्वायरी की गई जो न्याय, नियम तथा तथ्यो के विपरीत है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रथम अपीलीय न्यायालय मे अपील पेश की गई जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने नाथूलाल को पक्षकार नही बनाये जाने से जेरअपील निर्णय दिनांक 13.11.2018 से खारिज कर त्रुटि की है। अपीलांट वसीयत के आधार पर विवादित आराजी का नामा0 अपने नाम दर्ज कराने का कानूनन अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर नही किया। अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.11.2018 एवं नामा0 सं0 354, 355 खारिज कर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को वसीयत के आधार पर नामा0 तस्दीक करने हेतु रिमांड किया जावे।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे परीक्षण न्यायालय द्वारा तस्दीक नामा0 सं0 354 एवं 355 वाके ग्राम भीमपुरा मृतक खातेदार के सजरे अनुसार विधिक वारिसों के नाम प्रशासन गांव के संग अभियान मे मजमे आम मे तस्दीक किया गया है जो विधिक प्रक्रिया अनुसार सही है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करते हुये अपीलांट की अपील को जेरअपील निर्णय दिनांक 13.11.2018 से खारिज किया है जिसमे किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नही है। अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलांट द्वारा दिनांक 9.5.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ नाथूलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया गया जो असल दस्तावेज होने व निर्णय मे सहायक होने से न्यायहित मे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दस्तावेज रेकार्ड पर लिया जाता है। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख नामा0 की प्रति के अवलोकन से प्रकट होता है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा विवादित आराजी का नामा0 सं0 354, 355 ग्राम भीमपुरा मृतक खातेदार के सजरे अनुसार विधिक वारिसों के नाम प्रशासन गांव के संग अभियान मे मजमे आम मे तस्दीक किया है जो विधिक प्रक्रिया अनुसार सही है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय मे उक्त नामा0 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील मे खातेदार गज्जा पुत्र नेनगा के पुत्र नाथूलाल विधिक वारिस को पक्षकार नही बनाया गया है। ऐसी स्थिति मे रेकार्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपील अपीलांट चलने योग्य नही होने से प्रथम अपीलीय न्यायालय ने जेरअपील निर्णय दिनांक 13.11.2018 से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ नाथूलाल पुत्र गज्जा का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है जिससे उसकी दिनांक 20.1.2010 को मृत्यु होना प्रकट होता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अपील मे खातेदार गज्जा के पुत्र नाथूलाल विधिक वारिस को पक्षकार नही बनाये जाने से अपील अपीलांट चलने योग्य नही होने से जेरअपील निर्णय दिनांक 13.11.2018 से अस्वीकार की है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त विवेचित अभिमत विधिसम्मत होने से इस स्टेज पर जेरअपील निर्णय दिनांक 13.11.2018 मे हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइंश नही पाते है। लिहाजा उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 20.8.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा